

नर्सिंग कॉलेज-एम्स
छात्रावास संख्या 15 (मेधा छात्रावास), मस्जिद मोठ
नियमावली एवं विनियम

परिचय

छात्रावास संख्या 15 (मेधा छात्रावास), मस्जिद मोठ का उद्घाटन जून 1992 में किया गया था। यह एक खूबसूरत एवं पर्यावरण-अनुकूल सात मंजिला इमारत है जिसमें नर्सिंग छात्राओं के लिए बहुत-सी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

छात्रावास संख्या 15 (मेधा छात्रावास), मस्जिद मोठ उप-अधीक्षक, छात्रावास तथा अधीक्षक, छात्रावास के सीधे नियंत्रण में आता है जो वार्डन एवं उनके स्टाफ के माध्यम से इसकी प्रशासनिक व्यवस्था संभालते हैं।

इमारत के भूतल पर बहुत-सी सामान्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे- सामान्य भण्डार एवं अध्ययन कक्ष, मनोरंजन कक्ष, टी.वी. कक्ष, रोगी कक्ष तथा मैस।

छात्रावास के निवासियों से अपेक्षा की जाती है कि छात्रावास की उचित देखभाल के लिए कुछ नियमों एवं विनियमों का पालन करें।

सामान्य

1. छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे हर समय तथा सभी के साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार करें।
2. जब भी छात्राएं भूतल पर आएंग तो ठीक प्रकार से कपड़े पहन कर आएंग।
3. सामान्य कक्षाओं जैसे, मनोरंजन कक्ष, टी.वी. कक्ष एवं अध्ययन कक्ष का उपयोग करने के बाद उसे सुव्यवस्थित अवस्था में छोड़ें (खिड़कियां बंद कर दें, फर्नीचर/तकिए को उनके स्थान पर ही रख दें, बत्ती, पंखे एवं ए.सी को बंद कर दें, दरवाजा बंद/लॉक कर दें।)
4. कमरे में बिजली की प्रेस/बिजली की हॉट प्लेट तथा अन्य उपकरणों का इस्तेमाल वर्जित है, इसका उल्लंघन करने पर ऐसे उपकरणों को जब्त कर लिया जाएगा।
5. छात्रावास में किसी बड़ी सभा/समारोह के लिए पूर्वानुमति लेनी होगी।
6. किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी तलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।



मैस

छात्राओं का छात्रावास मैस में शामिल होना अनिवार्य है। मैस को छात्राओं द्वारा चलाया जाता है।

1. बीमार छात्राओं के अतिरिक्त किसी भी छात्रा को मैस से भोजन अपने कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।
2. मैस की समय-सारणी निम्न है:-

| | | |
|---------------|--------------------|--------------------|
| नाश्ता | प्रातः 6:20 बजे से | प्रातः 9:30 बजे तक |
| दोपहर का भोजन | दोपहर 12:30 बजे से | दोपहर 2:30 बजे तक |
| चाय | शाम 4:30 बजे से | शाम 6:00 बजे तक |
| रात्रिभोज | रात 7:30 बजे से | रात 9:30 बजे तक |

इस समय सारणी का सख्ती से पालन करना होगा।

3. अनुरोध करने पर केवल बीमार छात्राओं को ही उनके कमरे में उपयुक्त भोजन भिजवाया जा सकता है।

नियमावली

1. मिलने का समय, विलंब पास, सप्ताहांत पास तथा शहर से बाहर जाने की अनुमति:

मिलने का समय

| | | |
|------------------|-----------------|--------------|
| सप्ताहांत | शाम 4 बजे से | रात 9 बजे तक |
| शनिवार | दोपहर 1 बजे से | रात 9 बजे तक |
| रविवार एवं अवकाश | प्रातः 9 बजे से | रात 9 बजे तक |

इस समय-सारणी का सख्ती से पालन किया जाए। छात्राओं को अपने संभावित आगंतुकों को इस समय-सारणी के विषय में सूचना दे देनी चाहिए।

2. छात्राएं अपने आगंतुकों से केवल विजिटिंग रूम में ही मिलें। छात्राएं अपने आगंतुकों से मिलने के लिए ठीक प्रकार से कपड़े पहन कर आएं। किसी भी आगंतुक को कमरे में आने की अनुमति नहीं है।
3. रात 10.00 बजे छात्रावास के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जिन छात्राओं के पास विलंब पास है वे रात 10.00 बजे से पहले छात्रावास में वापस लौट आएं।

4. छात्राओं की शाम की उपस्थिति छात्र पर्यवेक्षक द्वारा रात्रि 09.00 बजे से 9.30 बजे के बीच दर्ज की जाती है। प्रत्येक छात्रा को उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए रिपोर्ट करना अनिवार्य है। उपस्थिति दर्ज होने के बाद किसी भी छात्रा को छात्रावास के गेट से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि उपस्थिति दर्ज करते समय कोई छात्रा उपस्थित नहीं होती है तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा तथा छात्रा पर्यवेक्षक के द्वारा उसकी रिपोर्ट उप-अधीक्षक कार्यालय में भेज दी जाएगी।
5. छात्राओं को उपर्युक्त निर्धारित समय के भीतर शाम में पुस्तकालय जाने की अनुमति है। पुस्तकालय से लौटने पर छात्राओं को विलंब पासबुक में अपनी वापसी का समय दर्ज करना होगा।
6. सप्ताहांत/छुट्टियों में अपने स्थानीय अभिभावक के निवास पर जाने की इच्छुक छात्राओं को एसओपी पुस्तिका में सभी अपेक्षित विवरण दर्ज करने होंगे। सही विवरण न देने अथवा एसओपी पुस्तिका में प्रविष्टि किए बिना अनुपस्थित होने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है।
7. छात्राओं को कॉलेज के कामकाजी घंटों तथा कार्यदिवसों के दौरान अपने घर, स्थानीय अभिभावक के निवास अथवा कहीं और जाने की अनुमति नहीं है। यदि जाना अति आवश्यक है तो छात्रावास की वार्डन/उप-अधीक्षक से अनुमति लेनी होगी। कक्षा से अनुपस्थिति के लिए नर्सिंग कॉलेज से अनुमति लेनी होगी।
8. यदि छात्राओं को आपातकालीन स्थिति में शहर से बाहर जाने की आवश्यकता होती है तो उन्हें छात्रावास के उप-अधीक्षक/वार्डन से लिखित रूप में पूर्वानुमति अवश्य लेनी होगी।
9. छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहें। बीमारी हेतु अवकाश के लिए कॉलेज में आवेदन करें तथा छात्रावास पर्यवेक्षण के लिए नियुक्त छात्राओं को भी रिपोर्ट करें।
10. कमरों के भीतर अथवा छात्रावास परिसर में पालतू जानवरों का प्रवेश वर्जित है।

कमरे

1. छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कमरे को साफ-सुथरा रखें।
2. कमरे से बाहर जाते समय सभी बत्तियां एवं पंखे बंद कर दें।
3. अध्ययन कर रही छात्राओं को किसी भी समय विशेषकर अध्ययन समय के दौरान अर्थात् शाम 7:00 बजे से रात 10:00 बजे तक परेशान न करें।


4. कमरे में खाना बनाना सख्त वर्जित है।
5. छात्राएं अपने कमरों में ज्यादा पैसे अथवा कीमती वस्तुएं न रखें। पैसे अथवा किसी कीमती सामान के नुकसान/खो जाने पर छात्रावास प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. किसी भी अतिथि को छात्राओं के साथ रहने की अनुमति नहीं है। छात्रावास नियमावली द्वारा अनुमत्य न्यूनतम शुल्क एवं अवधि हेतु अतिथि (केवल महिलाएं) हेतु कमरे की व्यवस्था करने के लिए छात्राओं को छात्रावास अनुभाग वार्डन अथवा छात्रावास उप-अधीक्षक से लिखित में पूर्वानुमति लेनी होगी।
7. कमरों का शुल्क लेने की अनुमति नहीं है।

बाथरूम आदि का इस्तेमाल

1. छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि बाथरूम/शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद उसे साफ-सुथरा छोड़ें। स्थान छोड़ने से पहले यह भी सुनिश्चित करें कि नल एवं बत्ती को ठीक से बंद कर दिया है।
2. छात्राएं गीजर इस्तेमाल करने के बाद उसे बंद कर दें।
3. सभी डिस्पोजेबल वस्तुओं को सीलोफेन/प्लास्टिक बैग में रखें तथा इसे बाथरूम में निकट बनें स्थान पर रखें।
4. कूलर क्षेत्र के पास डस्टर, सॉस पैन तथा बोतलें जैसी वस्तुएं न छोड़ें।
5. कूलर के पानी का इस्तेमाल केवल पीने के लिए करें। कूलर के स्विच को बंद न करें।
6. कपड़े केवल बाथरूम के भीतर ही धोएं।
7. गलियारे आदि में कपड़े सुखाने की अनुमति नहीं है।

बस

1. छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके लिए निर्धारित बस/यात्रा का आनंद लें।
2. छात्राओं को बस के प्रस्थान के निर्धारित समय से कम से कम 10 मिनट पहले छात्रावास के गेट/नियत स्थान पर पहुंचना होगा।



सिविल एवं विद्युत शिकायतें

1. सिविल शिकायतों पर प्रातः 9:30 बजे से 1:00 बजे तक तथा दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक कार्रवाई की जाएगी। (इंटरनल नंबर 4959)
2. विद्युत शिकायतें दिन में किसी भी समय दर्ज तथा उन पर कार्रवाई की जा सकती हैं। (इंटरनल 4233)
3. सिविल, विद्युत, पानी के कूलर, ए.सी एवं बागवानी संबंधी शिकायतों के लिए टेलीफोन काउंटर के पास अलग से पुस्तिका रखी गई है।
4. उपयुक्त पुस्तिका में अपनी शिकायत की विशेष प्रकृति के अतिरिक्त स्पष्ट रूप से अपने कमरे का नंबर (जैसे- एस-327) भी लिखें। आपसे अपेक्षा की जाती है कि पुस्तिका में यह भी लिखें कि शिकायत निवारण करवाने के लिए आप कब उपलब्ध होंगी।
5. स्टाफ के कामकाज अथवा व्यवहार से संबंधित किसी भी शिकायत के मामले में कृपया वार्डन को सूचित करें। सीधे कोई कार्रवाई न करें।


आपातकालीन स्थिति एवं बीमारी

किसी आपातकालीन स्थिति (आग/चोरी आदि) अथवा बीमारी के मामले में कृपया वार्डन को सूचित करें। वह कार्रवाई करेगी तथा आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

निष्कर्ष

अपनी समस्याओं के लिए आप किसी भी समय वार्डन से मिल सकती हैं। छात्रावास में शांति बनाए रखने तथा सद्भाव एवं घर जैसा वातावरण बनाए रखने के लिए किसी भी प्रकार के सुझावों का स्वागत है।

यदि आपको कोई समस्या है, तो कृपया 011-26594964/011-26594965 नंबरों (छात्रावास संख्या 15, स्वागत पटल) पर संपर्क करें। हम आशा करते हैं कि छात्रावास में आपका समय आनंदमय व्यतीत हो।


छात्रावास अधीक्षक